(न्या)यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 59/2024 (2024/196)

अनवान

1. प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोपालसिंह पिता किशनसिंह दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. नजा बाई पुत्री बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. पार्वती पुत्री बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. लाला पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. श्रीमान् तहसीलदार साहब , बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—209 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री बगदीराम धाकड अधिवक्ता वादी

<u>निर्णय</u> दिनांक 09.04.2026

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89—209 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के स्वामित्व की पुश्तैनी शामलाती कृषि आराजीयात खेरच के खाता संख्या 70 मे वर्णित आराजीयात 153 , 163 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हे. मे वादी का 1/8 वा हक हिस्सा व खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजीयात 154, 155, 157, 158, 159, 160 मी, 161मी, 162मी, 164मी, 165 कुल किता 10 कुल रकबा 2.64 हे. जिसमे वादी का 1/6 मौजा भोपतपुरा के खाता संख्या 20 मे वर्णित आराजीयात 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, कुल किता 08 कुल रकबा 1.83 हे. जिसमे वादी का 1/24 वा हक हिस्सा एंव

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

...रा पटवार के खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजी न 135/118 रकबा 0.77 हे. मे ... का 1/24 वा हक हिस्सा निहित है । वादी का वास्तविक नाम प्रेमसिंह होकर संपूर्ण दस्तावेज में भी प्रेमसिंह ही अंकित है , लेकिन वादी को बाल्यावस्था से ही घर पर लाड प्यार से चन्नु उर्फ प्रेमसिह के नाम से भी पुकारते थे । इसलिए वादी के पिता बिहारीलाल पिता जयसिंह धाबई की मृत्युपंरात राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभियान शिविर बिजयपुर में मजमेआम मे विरासत से जो नामांतरण संख्या 15, 28, 23 दिनांक 06.05.1993 को खोले गये उस समय वादी का नाम सहवन से प्रेमसिंह के बजाय राजस्व रेकार्ड में चन्नु अंकित कर दिया जो कि अनवरत रूप से चला आ रहा है, उक्त त्रुटि की वादी को पुर्व मे जानकारी नही थी। वादी द्वारा तहसीलदार साहब बस्सी के समक्ष नाम शुद्धि करण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी वादी का नाम दुरस्त नही होने से वाद कारण दिनांक 20.03.2024 से पैदा होकर लगातार जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात मे राजस्व रेकार्ड में इंद्राज दुरूस्त करवा वादी का नाम चन्नु पिता बिहारीलाल के बजाय प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल अंकित करने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की तरफ से सहमति का जवाब पेश किया गया। दिनांक 16.10.2025 को बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 01 से 05 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत न होकर सहमति का जवाब होने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 प्रेमसिंह के प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श 1 से लगायात 4 नकल जमाबन्दीया , प्रदर्श–5 से लगायत 7 नकल नामान्तरकरण , प्रदर्श–8 ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एंव अन्य दस्तावेज आधार कार्ड , जनआधार की फोटो प्रतियाँ पेश की है। पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश हुई। बहस प्रकरण सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजीयात मे चन्नु पिता बिहारीलाल का नाम प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल घोषित करने की डिक्री प्रदान कर इन्द्राज दुरस्त कराने का निवेदन किया ।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

...त्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी के कथनो पर चिन्तन व ... किया । वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर स्वंय का नाम चन्नु के वजाय प्रेमसिंह राजस्व रेकार्ड मे दुरस्त करवाना चाहता है चूंकि वक्त नामान्तरकरण वादी को बाल्यावस्था मे लाड प्यार से घर पर चन्नु बुलाते थे तो सहवन से वक्त नामान्तरकरण चन्नु के नाम खोल दिया गया जबकि वादी का अन्य दस्तोवजो मे प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल नाम अंकित है। उक्त कथनो के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 02 से 05 द्वारा भी सहमति का जवाब प्रस्तुत कर वादी के नाम शुद्धि के कथन मे सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पहचान प्रमाण पत्र , आधार कार्ड व जनआधार कार्ड मे भी प्रेमसिंह नाम अंकन होने की पुष्टि हुई है। प्रदर्श 5 से 7 नकल नामान्तकरण है जिससे यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण के वक्त चन्नु नाम से नामान्तकरण खोला गया है। वादी उक्त त्रुटि को सुधरवाने हेतू हस्तगत वाद पत्र पेश किया है जो कि न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का बिजयपुर तहसील बस्सी मे स्थित ग्राम खेरच के खाता संख्या 70 मे वर्णित आराजीयात 153 , 163 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हे. मे वादी का 1/8 वा हक हिस्सा व खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजीयात 154, 155, 157, 158, 159, 160 मी, 161मी, 162मी, 164मी, 165 कुल किता 10 कुल रकबा 2.64 हे. जिसमे वादी का 1/6 मौजा भोपतपुरा के खाता संख्या 20 मे वर्णित आराजीयात 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, कुल किता 08 कुल रकबा 1.83 हे. जिसमे वादी का 1/24 वा हक हिस्सा एंव कुशलपुरा के खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजी न 135/118 रकबा 0.77 हे. मे वादी का 1/6 वा हक हिस्से मे वादी का नाम चन्नु पुत्र बिहारीलाल का नाम विलोपित कर प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ... जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

<u>मूल वाद मे डिकी</u>

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोपालसिंह पिता किशनसिंह दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. नजा बाई पुत्री बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. पार्वती पुत्री बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. लाला पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) नि.बिजयपुर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. श्रीमान् तहसीलदार साहब , बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—209 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 59 / 2024 (2024 / 196)

वादी की ओर से वकील श्री बगदीराम धाकड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का बिजयपुर तहसील बस्सी मे स्थित ग्राम खेरच के खाता संख्या 70 मे वर्णित आराजीयात 153 , 163 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हे. मे वादी का 1/8 वा हक हिस्सा व खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजीयात 154, 155, 157, 158, 159, 160 मी, 161मी, 162मी, 164मी, 165 कुल किता 10 कुल रकबा 2.64 हे. जिसमे वादी का 1/6 मौजा भोपतपुरा के खाता संख्या 20 मे वर्णित आराजीयात 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, कुल किता 08 कुल रकबा 1.83 हे. जिसमे वादी का 1/24 वा हक हिस्सा एंव कुशलपुरा के खाता संख्या 02 मे वर्णित आराजी न 135/118 रकबा 0.77 हे. मे वादी का 1/6 वा हक हिस्से मे वादी का नाम चन्नु पुत्र बिहारीलाल का नाम विलोपित कर प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल दरोगा (धाबाई) दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है।

यह आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)